दिनांक 4.12.2010 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के मुख्यालय भवन के सभाकक्ष में प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित ''विश्वविद्यालय विद्या परिषद्'' की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्ति।

''विश्वविद्यालय विद्या परिषद्'' की द्वितीय बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में भाग लिया।

प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान	अध्यक्ष
प्रो0 एच0सी0 नैनवाल	सदस्य
न्यायमूर्ति श्री के0डी0 शाही	सदस्य
प्रो0 वी0के0 मेहता	सदस्य
प्रो0 नेहरू लाल	सदस्य
प्रो0 पी0के0 अग्रवाल	सदस्य
प्रो0 एस0के0 सिंह	सदस्य
डॉ0 आर0एल0 रैना	सदस्य
प्रो0 डॉ0 रवि एच0 गोराने	सदस्य
श्री आर0आर0 अग्रवाल	सदस्य
मा0 कुलपति गो0ब0प0क्र0प्र0 वि0वि0	सदस्य
प्रो0 आर0के0 सिंह	सदस्य
प्रो0 विजय जुयाल	सदस्य
प्रो0 प्रेम कालरा	सदस्य
प्रो0 ओमकार सिंह	सदस्य
प्रो0 के0बी0 बुधोड़ी	सदस्य
प्रो0 आर0के0 खार	सदस्य
प्रो0 मुकुल सिंह	सदस्य
डॉ0 आर0सी0 पाण्डेय	सदस्य

बैठक की अध्यक्षता प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान माननीय कुलपति द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा के पश्चात् निर्णय लिये गये :–

कार्यसूची (Agenda)	संकल्प (Resolution)
<u>मद सं0 01–</u>	
विद्यापरिषद् की प्रथम बैठक दि0 18.03.2009 की कार्यवृत की संपुष्टि।	पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात् सर्वसम्मिति से उसकी पुष्टि की गई।

मद सं0 02–

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 (शनिवार) को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया गया।

मद सं0 03–

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' में तकनीकी क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले प्रो0 डॉ0 बी0के0 गैरोला एवं प्रो0 एस0के0 जोशी को 'मानद उपाधि' से को (D.Sc.) विभूषित किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार किया गया प्रो0 डॉ0 वी0के0 गैरोला एवं प्रो0 एस0के0 जोशी के तकनीकी क्षेत्र में दिये गये सराहनीय विशेष योगदान दृष्टिगत रखकर उन्हें विश्वविद्यालय के द्वितीय दिक्षांत समारोह में (D.Sc.) की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

मद सं0 04–

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कम्प्यूटर सांइस एवं होटल मैनेजमेंट के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्ष 2010 में 60% व इससे अधिक प्राप्तांकों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियाँ प्रदान किये जाने तथा अन्य उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियों का वितरण सम्बन्धित कॉलेज/संस्थान द्वारा ही प्रदान किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार किया गया। गहन मंथन के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थियों द्वारा 65% एवं उससे ऊपर अंक प्राप्त किये गये है, केवल उन्हें ही समारोह में उपाधियाँ प्रदान की जायें तथा बाकी छात्रों को उनके कॉलेज/संस्थान के मध्याम से प्रदान की जायें।

मद सं0 05–

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' में शोध कार्य (Ph.D.) पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को शोध उपाधियाँ प्रदान किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सर्व–सम्मति से उसका अनुमोदन किया गया।

<u>मद सं0 06–</u>

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2009 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय की सूचि में सम्मिलित किये जाने के संबंध में विचार।	प्रस्ताव पर विचार किया गया। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि कार्यसूची की मद सं0 6 पर अंकित सभी विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु उन्हें विश्वविद्यालय की सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया, कि माननीय कुलपति महोदय को अपने विवेकानुसार उपरोक्त विषयों में विश्वविद्यालय के निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दृष्टिगत रखकर सम्बन्धित संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अधिकृत किये जाने के अधिकार का अनुमोदन किया जाता है।

BBA (Bachelor in Business Administration)	BBA (Hons.) Media Management,
B.Com,	BCA,
B.Sc. Communication Science,	B.Sc. IT,
B.Sc. Animation,	B.Sc. Home Science,
B.Sc. Biotechnology,	B.Sc. Industrial Microbiology,
B.Sc. Micro Biology,	B.Sc. Media Communiction,
B.Sc. (Hons.) Food Technology,	B.Sc. Fashion Designing,
Post Basic B.Sc. Nursing,	B.Sc. Nursing,
BPT,	BMLT,
B.Lib.	B.Ed., BP.Ed.
Bachelor in Journalism & Mass Communication	
Vet Phrmacy	Livestock Extension
M.Sc. Pharmaceutical Chemistry	M.Sc. Micro Biology
M.Sc. Biotechnology	M.Sc. Computer Science
M.Sc. IT	M.Sc. Food Technology
M.Sc. Physics	M.Sc. Chemistry
M.Sc. Enviornment Biology	M.Sc. Enviornment Science

M. Pharma (Pharmaceutics, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry,

Clinical Pharmacy, Industrial Pharmacy, Pharma Analysis/Quality Assurance, Pharm. Technology., Pharm-D 6 years course After 10+2 and Pharm-D (3yrs. course after B.Pharm Course)

M.Sc. Nursing,
M.Sc. MLT
M.A. Media Journalism.

MPT
M.Lib.,
M.Ed.

LL.B. (3 yrs.)
BA. LL.B. (Integrated 5 yrs.)
LL.M.

BBA. LLB (integrated 5 yrs.)
B.Com. LLB (Integrated 5 yrs.)

PG Diploma in Mass Communication
"" Diploma in Tourism
"" Diploma in Energy Laws.
"" Diploma.in Cyber Laws.
"" Diploma in Space Laws.
"" Diploma in Human Rights Laws.
"" Diploma in Law and Journialism.
"" Diploma in Environmental Law
"" Diploma in Intellecutual Property Right Laws.
""" Diploma in Alternate Dispute Resolutions.
"" Diploma in Real Estate Laws.
"" Diploma in Corporate Law and Management
"" Diploma in Securities and Banking Laws.
" Diploma in Tax Laws.
"" Diploma in Law and Medicine.
"" Diploma in Drafting of Legislation, Treaties and Agreement.
"" Diploma in Child Rights Law.

<u>मद सं0 07–</u>

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधन के अनुमोदन पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। मद सं0 7 पर दर्शाये गये पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

B.Tech. ,
Squential M.Tech.,
Hotel Management.

M.Tech.,
M.Sc. Computer Science,
M.Pharma./B.Pharma

मद सं0 08–

विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम समिति के गठन/समय–2 पर आवश्यक संशोधन हेतु माननीय कुल–पति महोदय को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश का अवलोकन करने से विदित हुआ, कि विधि क्षेत्र में जाने माने एवं ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों को ही विधि पाठ्यक्रम समिति में मनोनीत किया गया है। हमें विश्वास है, कि, ऐसे विधि विशेषज्ञों की राय से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की साख में चार चाँद लगेंगे और यह विश्वविद्यालय विधि शिक्षा के लिए भी विश्वस्तर पर जाना जायेगा। तदानुसार आदेश दिनांक 22.4.2010 के अंतर्गत गठित विधि पाठ्यक्रम समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय कुलपति महोदय को इस समिति में समय–2 पर आवश्यक संशोधन हेतु भी अधिकृत किया गया।

मद सं0 09–

विश्वविद्यालय द्वारा गठित विधि पाठ्यक्रम समिति एवं एम0फार्मा पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित/संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। विधि पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित विधि पाठ्यक्रमों का तथा फार्मेसी पाठ्यक्रम समिति द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद सं0 10–

वर्ष 2009–2010 से बी0फार्मा पाठ्यक्रम के लिए Internal & External अंकों के अनुपात में परिवर्तन करने पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। बी.फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए Internal & External अंकों के अनुपात में परिवर्तन करने के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद सं0 11–

छात्रों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त 2010 एवं नवम्बर 2010 में आयोजित विशेष बैक पेपर परीक्षाओं के अनुमोदन पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के इस योगदान की सराहना करते हुए प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद सं0 12–

विश्वविद्यालय द्वारा विधि में शोध कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में विचार तथा विधि शोध कार्य हेतु विधि विशेषज्ञों की गाइड के रूप में पहचान/नियुक्ति करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विधि में शोध कार्य प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा माननीय कुलपति महोदय को विधि विशेषज्ञों की विधि शोध कार्य हेतु गाइड के रूप में नियुक्त करने के अधिकार की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

मद सं0 13–

पी0एचडी0, आर0डी0सी0 तथा मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय में परिवर्तन करने पर विचार।

मद सं0 14–

अन्य मद माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान)
कुलपति/अध्यक्ष